XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक....निग.—3841 I.14......जिला .....पन्ना.............

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	1— यह प्रकरण आवेदक के आवेदन के आधार पर लिया गया आवेदक अधिवक्ता द्वारा 41/27 के आवेदन के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं पूर्व कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी न्यायालय श्रीमान् आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि खसरा क्रमांक 1235/2 रकवा 3.600 हे0 स्थित ग्राम पन्ना उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति जो पट्टे पर प्राप्त नहीं है उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 12/8/94 के माध्यम से क्रय की गयी थी जिसे वह शिक्षा समिति को विक्रय करना चाहता है। आवेदक का यह भी तर्क है कि उपरोक्त भूमि विक्रय करने के उपरांत उसके पास 4.318 हे0 भूमि शेष रहती है जिस कारण से वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं रहेगा। आवेदक स्वयं शिक्षा समिति का सदस्य है तथा वह निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर भूमि विक्रय करना चाहता है तथा वह प्रतिफल की राशि ठेकेदारी एवं अन्य व्यवसाय में उपयोग करेगा। 3— आवेदक द्वारा अपने तर्क में बताया कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को म.प्र. भू.रा.संहिता के प्रावधान अनुसार यह स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आवश्यक नहीं है कि उसकों प्राप्त प्रतिफल की राशि का उसके द्वारा किस प्रकार कहां उपयोग किया जायेगा। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अनुमति की आवश्यकता का प्रावधान इसलिए किया गया है जिससे वह भूमिहीन ना हो तथा उसका किसी भी प्रकार का कोई शोषण न हो सकें परंतु इस प्रकरण में उपरोक्त तथ्य आवेदक पर लागू नहीं होते जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं	

20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-3841-I/14

हीरालाल गोड तनय करताली गोड
निवासी मुडिया पहाड रानीबाग ग्राम पंचायत मनौर
तह. व जिला पन्ना ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

1. म.प्र.शासन
2. वैष्णव माता शिक्षा समिति पन्ना
   अध्यक्ष सुमिला त्रिवेदी पत्नि अवधेश प्रसाद त्रिवेदी
   निवासी रानीबाग, पन्ना ....अनावेदकगण

B.O.R.
1 OCT 2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/08/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक की स्वअर्जित भूमि आराजी खसरा क्र 1235/2 रकवा 3.600 हेक्टेयर ग्राम पन्ना अंतर्गत ग्राम पंचायत गहरा तह. व जिला पन्ना में स्थित है जिसे आवेदक निर्धारित बाजार मूल्य पर अनावेदक क्र 2 को विक्रय करना चाहता है जिसकी अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर पन्ना द्वारा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा प्रथम अपील कमिश्नर सागर संभाग के समक्ष प्रस्तुत की जिसे भी कमिश्नर सागर द्वारा विधि विरूद्व तरीके से निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, आयुक्त सागर संभाग एंव कलेक्टर पन्ना द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थतियों का विपरीत तरीके से उपयोग करतें हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, कलेक्टर पन्ना द्वारा अपना आदेश पारित करने के पूर्व ना ही किसी प्रकार की कोई जांच की ओर ना ही तहसीलदार अथवा हल्का पटवारी से कोई प्रतिवेदन